राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12446/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जगदीश प्रसाद यादव ग्राम पोस्ट कालवाड तहसील जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कलेक्टे्ट परिसर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रामपाल कुमावत, कनिष्ठ लिपिक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06-06-2017 के द्वारा राजस्व शिविर पंचायत समिति झोटवाड़ा में आयोजित शिविर दिनांक 09-06-2005 को शिविर प्रभारी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रधानाचार्य उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय कालवाड द्वारा आराजी खसरा नं0 276 को स्कूल के खेल मैदान हेतु आवांन्ट करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त आवेदन प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत के प्रस्ताव है। दिनांक 30-03-1972 श्रीमान् एसडीएम द्वारा उक्त खसरा आवंटत हेतु आरक्षित कर दिया था, इस आदेश की प्रति व उस पर क्या कार्यवाही की गई की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 1 से 3 के संबंध में इस कार्यालय स्तर से टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। बिन्दु संख्या 4, 5 व 6 उप खण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से संबंधित है। जिस क्रम में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 14-06-2017 द्वारा प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गतउप खण्ड अधिकारी जयपुर को अन्तरित किया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 21-02-2018 प्रस्तुत किया जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त नहीं की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ए)(।।) अन्तर्गत राज्य लोक समचना अधिकारी नियुक्त किया जाता कर उप खण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ उप खण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त